ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 12, December 2018

सतत विकास में सहभागी सूचना का अधिकार

डॉ. सुशीला देवी मीणा

सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान, सेठ आर. एल. सहरिया राजकीय पी. जी. महाविद्यालय, कालाडेरा , जयपुर

सार

प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन और एक अभिज्ञ नागरिक वर्ग के विकास के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मंतव्य को परिपुष्ट करना और लोक प्राधिकरणों के निपयंत्रणाधीन सूचना तक पहुॅच को सुकर बनाते हुए प्रत्येक नागरिक के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करना।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधिनियमन के साथ इस तथ्य का पूर्णतः पारिनिर्धारण हो चुका है कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) से निस्सृत है। सूचना का अधिकार अधिनियम का अन्तिम उद्देश्य एक ऐसे अभिज्ञ नागरिक वर्ग की अपेक्षा करना है जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो और साथ में लोक प्राधिकरणों के ऐसे सुप्रशिक्षित अध्किारियों की अपेक्षा करना है जो उक्त अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों के प्रति जागरुक हों। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध सरकार, गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता और अन्य क्रियाकलापों और एक क्रियाशील सूचना आयोग के सहयोग से ही वॉंछित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, 14 सितम्बर 2005 को अस्तित्व में आया "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" में प्रतिष्ठापित उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी है जिनका आशय एक अभिज्ञ नागरिक वर्ग की संरचना करना, लोक प्राधिकरणों द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन सूचना की पारदर्शिता का संवधन और भ्रष्टाचार को रोकना और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासित जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना है।

परिचय

भूमि, विशेषकर वर्षासिंचित जोत क्षेत्रों और कृषि योग्य बंजरभूमि की उत्पादकता और आजीविका/आय क्षमता में सतत सुधार सुनिश्चित करना।उचित एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करना जिससे अन्य के साथ-साथ भूमि संबंधी रीयल टाइम सूचना में सुधार होगा, भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा और नीति/आयोजना में सहायता मिलेगी।[1,2] विभाग का मिशन वाटरशेड विकास कार्यक्रमों में निर्णय निर्माण में हितधारकों को शामिल करते हुए सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से वर्षासिंचित कृषि योग्य और अवक्रमित भूमि का सतत विकास सुनिश्चित करना। बंजर भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में समन्वित प्रयास किए जाने होते है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ते हैं।दक्ष भूमि उपयोग नीति सहित प्रभावी कृषि सुधार करना और एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएमएस) तैयार करने के उद्देश्य से पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (एलआरएमएस) की व्यवस्था करना। अन्ततः एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली से नागरिकों को काश्तकारी की सुरक्षा मिलेगी, भूमि विवाद कम होंगे, संपत्ति स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया सरल होगी, भूमि संपत्ति सौदे आदि धोखाधड़ी-रहित होंगे।

भूमि संसाधन विभाग के कार्य इस प्रकार हैं:

1. वर्षा सिंचित/ अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए वाटरशेड कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

2. राज्यों को भूमि अभिलेख प्रबंधन का आधुनिकीकरण करने और भूमि सूचना प्रणाली तैयार करने में मार्गदर्शन देना और सहयोग करना।

3. निश्चायक स्वामित्वाधिकार प्रणाली शुरु करने में राज्यों के प्रयासों में सहयोग करना।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 12, December 2018

4. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 और संघ के प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संचालन।

5. विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन हेतु नीति अपनाने को सुगम बनाना।

6. भूमि सुधार, भूमि काश्तकारी, भूमि अभिलेख, जोतों की चकबंदी और अन्य संबद्ध मामले।

विभाग के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से वर्षा सिंचित /अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाना;

2. व्यापक भूमि शासन प्रणाली, जिसे एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली के नाम से जाना जाता है, स्थापित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता करना;[3,4]

3. भूमि सुधारों और भूमि से संबंधित अन्य सम्बद्ध मामलों जैसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफ़सीटीएलएआरआर), राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 आदि का संचालन करना; और

4. देश में पहले से किए गए पौधरोपण के मूल्यांकन के आधार पर मुख्य रूप से बंजर भूमि पर जैव ईंधन पौधरोपण के प्रसार के साथ राष्ट्रीय जैव ईंधन मिशन का प्रदर्शन चरण शुरु करना।

आरटीआई का मतलब है सूचना का अधिकार और संविधान की धारा 19(1) के तहत इसे मौलिक अधिकार का पद दिया गया है। धारा 19(1) के तहत नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसे अधिकार है जानने का की सरकार कैसे काम करती है, उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या काम है इत्यादि। सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को जानकारी प्राप्त करने की नोट्स लेने की, निष्कर्षों या दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, सामग्री के प्रमाणित नमूने [5,6]लेने की शक्ति प्रदान करता है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के नियुक्त कार्यालयवार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी
1	कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	अतिरिक्त आयुक्त-प्रथम, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर। (गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु)	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2	कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	अतिरिक्त आयुक्त-द्वितीय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर। (अनुसूचित क्षेत्र हेतु)	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3	कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त-तृतीय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।	अतिरिक्त आयुक्त-तृतीय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 12, December 2018

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी
		(जयपुर, अजमेर एवं भरतपुर संभाग हेतु)	
4	कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त-चतुर्थ, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जोधपुर।	अतिरिक्त आयुक्त-चतुर्थ, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जोधपुर। (जोधपुर एवं बीकानेर संभाग हेतु)	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
5	कार्यालय माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।	निदेशक, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
6	कार्यालय उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
7	कार्यालय उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा	उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
8	कार्यालय उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ	उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
9	कार्यालय उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर	उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
10	कार्यालय उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, आबूरोड, सिरोही	उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, आबूरोड, सिरोही	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
11	कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद, जिला बारां	अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद, जिला बारां	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
12	कार्यालय राजस्थान जनजाति विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर।	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान जनजाति विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर।	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं पदेन प्रशासक, राजस्थान जनजाति विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 12, December 2018

विचार-विमर्श

शासन' निर्णय लेने की एवं जिसके द्वारा निर्णय लागू किये जाते हैं, की प्रक्रिया है।शासन का उपयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है जैसे कि कॉर्पोरेट शासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन और स्थानीय शासन।वर्ष 1992 में 'शासन और विकास' (Governance and Development) नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन अर्थात् 'गुड गवर्नेंस' (Good Governance) की परिभाषा तय की। इसने सुशासन को 'विकास के लिये देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके' के रूप में परिभाषित किया।सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएँ हैं। [7,8]यह भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्यायसंगत और समावेशी होने के साथ-साथ 'कानून के शासन' (Rule of Law) का अनुसरण करता है।यह विश्वास दिलाता है कि भ्रष्टाचार को कम-से-कम किया जा सकता है, इसमें अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है और निर्णय लेने में समाज में सबसे कमज़ोर लोगों की आवाज़ सुनी जाती है।यह समाज की वर्तमान एवं भविष्य की ज़रूरतों के लिये भी उत्तरदायी है।

भागीदारी (Participation): लोगों को वैध संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय देने में सक्षम होना चाहिये।इसमें पुरुष एवं महिलाएँ, समाज के कमज़ोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक आदि शामिल हैं।भागीदारी का तात्पर्य संघ एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है।कानून का शासन (Rule of Law): कानूनी ढाँचे को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिये विशेषकर मानवाधिकार कानूनों के परिप्रेक्ष्य में।'कानून के शासन' के बिना राजनीति, मत्स्य न्याय (Matsya Nyaya) के सिद्धांत अर्थात् मछली के कानून (Law of Fish) का पालन करेगी जिसका अर्थ है ताकतवर कमज़ोरों पर प्रबल होगा।आम सहमति उन्मुख (Consensus-oriented):आम सहमति उन्मुख निर्णय लेने से यह सुनिश्चित होता है कि हर किसी की सामान्य न्यूनतम ज़रूरत पूरी की जा सकती है जो किसी के लिये हानिकारक नहीं होगा।यह एक समुदाय के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिये व्यापक सहमति के साथ साथ विभिन्न हितों की मध्यस्थता करता है।न्यायसंगत एवं समावेशी (Equity and Inclusiveness): सुशासन एक समतामूलक समाज के निर्माण का आश्वासन देता है।लोगों के पास अपने जीवन स्तर में सुधार करने या उसे बनाए रखने का अवसर होना चाहिये।प्रभावशीलता एवं दक्षता (Effectiveness and Efficiency):विभिन्न संस्थानों को अपने समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने वाले परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिये।समुदाय के संसाधनों का उपयोग अधिकतम उत्पादन के लिये प्रभावी रूप से किया जाना चाहिये।[9,10]

जवाबदेही (Accountability):सुशासन का उद्देश्य लोगों की बेहतरी पर आधारित है और यह सरकार के बिना लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकता है।सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्रों और नागरिक संगठनों को सार्वजनिक एवं संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।पारदर्शिता (Transparency):आवश्यक सूचनाएँ जनता के लिये सुलभ हों और उनकी निगरानी होनी चाहिये।पारदर्शिता का मतलब मीडिया पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न हो और लोगों तक सूचनाओं की पहुँच भी हो।

अनुक्रियाशीलता (Responsiveness): संस्थानों और प्रक्रियाओं द्वारा उचित समय में सभी हितधारकों को सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये।भगवद्गीता सुशासन, नेतृत्त्व, कर्तव्य परायणता और आत्मबल को कई प्रकार से संदर्भित करती है जिनकी आधुनिक संदर्भ में पुनः व्याख्या की जा सकती है।कौटिल्य के अर्थशास्त्र (ईसा-पूर्व की दूसरी-तीसरी शताब्दी) में राजा के कार्यों में 'लोगों के कल्याण' को सर्वोपरि माना गया।महात्मा गांधी ने 'सु-राज' (Su-raj) पर ज़ोर दिया है जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है 'सुशासन'।भारतीय संविधान में शासन के महत्त्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है जो कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य पर आधारित है, साथ ही लोकतंत्र, कानून का शासन और लोगों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है।सतत् विकास लक्ष्यों के तहत 'लक्ष्य 16' को सीधे तौर पर सुशासन से जुड़ा हुआ माना जा सकता है क्योंकि यह शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकारों एवं सुरक्षा में सुधार के लिये समर्पित है।पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान के अनुसार, सुशासन मानव अधिकारों के लिये सम्मान और कानून का शासन सुनिश्चित करता है तथा लोकतंत्र को मज़बूती, लोक प्रशासन में पारदर्शिता एवं सामर्थ्य को बढ़ावा देता है।[11]

परिणाम

सूचना का अधिकार (Right to Information):नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार (International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR) के लिये एक पार्टी के रूप में भारत ने ICCPR के अनुच्छेद 19 के अनुसार, नागरिकों को सूचना के अधिकार की प्रभावी रूप से गारंटी देने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्त्व का पालन किया है। RTI

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 12, December 2018

अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है। यह नागरिकों को सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करता है जो बदले में अधिक सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाता है।

ई-गवर्नेंस (E-Governance):राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (National e-Governance Plan) सभी सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिये उनके क्षेत्र में सुलभ बनाने, 'कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट' के माध्यम से उपलब्ध कराने और किफायती लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये लागू की गई है।ई-गवर्नेंस प्रभावी रूप से नई उभरती सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICTs) के युग में बेहतर कार्यक्रम एवं सेवाएँ प्रदान करता है जो दुनिया भर में तेज़ी से सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिये नए अवसर उपलब्ध कराता है। ई-गवर्नेंस का उन नागरिकों पर सीधा प्रभाव पड़ता है जो सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष लेन-देन के माध्यम से लाभ प्राप्त करते हैं।ई-गवर्नेंस के तहत शुरू किये गए कार्यक्रम: प्रगति (Pro-Active Governance and Timely Implementation), डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, एमसीए 21 (कंपनी मामलों के मंत्रालय की सेवाओं के वितरण में गतिशीलता एवं निश्चितता में सुधार करना), पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK), ऑनलाइन आयकर रिटर्न आदि।सरकार द्वारा 'न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) पर ध्यान देना। [12,13]

कानूनी सुधार (Legal Reforms):केंद्र सरकार ने पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से लगभग 1,500 अप्रचलित नियमों एवं कानूनों को समाप्त कर दिया है।कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विभिन्न संस्थानों द्वारा की जाने वाली मध्यस्थता पर ध्यान देने के साथ ही प्रक्रियात्मक कानूनों में सुधार किया जाना चाहिये।ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business):सरकार द्वारा व्यापार करने की परिस्थितियों में सुधार के लिये कदम उठाए गए हैं जिसमें कई कानून भी शामिल हैं, जो देश के कारोबारी माहौल और नीतियों से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिये हैं। जैसे- दिवालियापन संहिता (Bankruptcy Code), वस्तु एवं सेवा कर (GST) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून आदि।

विकेंद्रीकरण (Decentralization):

केंद्रीकृत 'योजना आयोग' को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग (NITI Aayog) नामक थिंक टैंक को लाया गया है जो 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देता है।14वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिये कर हस्तांतरण की सीमा को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। यह राज्यों को स्थानीय कारकों के आधार पर योजनाएँ आरंभ करने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।पुलिस सुधार (Police Reforms):गौण अपराधों के लिये ई-एफआईआर दर्ज करने सहित प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report- FIR) तंत्र में सुधार किया गया। नागरिकों की आपातकालीन सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी आपातकालीन नंबर लॉन्च किया गया।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme):देश के कम विकसित क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिये आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP) शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 115 सबसे पिछड़े ज़िलों के स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।सुशासन सूचकांक (Good Governance Index):सुशासन सूचकांक सुशासन दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था।इसे सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा शासन की स्थिति पर प्रभावों का आकलन करने के लिये एक समान उपकरण के रूप में तैयार किया गया है।GGI के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की तुलना करने के लिये मात्रात्मक आँकड़े प्रदान करना।शासन में सुधार के लिये उपयुक्त रणनीति बनाने और लागू करने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सक्षम बनाना ताकि शासन व्यवस्था को और बेहतर एवं परिणामोन्मुखी बनाया जा सके।सुशासन की राह में चुनौतियाँ:राजनीति का अपराधीकरण:'एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) रिपोर्ट के अनुसार, गठित लोकसभा के कुल सांसदों में से 43% सदस्य आपराधिक केस का सामना कर रहे हैं। इसमें वर्ष 2014 की तुलना में 26% की वृद्धि हुई है।राजनीति का अपराधीकरण तथा राजनेताओं, सिविल सेवकों एवं व्यापारिक घरानों का गठजोड़ सार्वजनिक नीति निर्माण एवं शासन पर बुरा प्रभाव डालते हैं।यद्यपि जनता के बीच राजनीतिक वर्ग का सम्मान लगातार कम होता जा रहा है, इसलिये ऐसे किसी व्यक्ति जिसके खिलाफ गंभीर एवं जघन्य अपराध व भ्रष्टाचार से संबंधित आपराधिक आरोप लंबित हैं, को अयोग्य घोषित करने के लिये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में संशोधन करना आवश्यक है।[14,15]

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 12, December 2018

भ्रष्टाचार (Corruption):शासन की गुणवत्ता को सुधारने में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। जबकि स्पष्ट रूप से मानव लालच भ्रष्टाचार का चालक है। यह भारत में भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्ति में योगदान करने के लिये ज़िम्मेदार है।ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध के अनुसार, भारत की रैंकिंग 78 से फिसलकर 80 हो गई है। लैंगिक असमानता (Gender Disparity):स्वामी विवेकानंद के अनुसार, "जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, विश्व कल्याण के बारे में सोचना असंभव है। जिस प्रकार एक पक्षी के लिये केवल एक पंख पर उड़ना असंभव होता है"।किसी राष्ट्र की स्थिति का आकलन करने का एक तरीका यह है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया जाए। चूँकि महिलाएँ कुल आबादी का लगभग 50% हैं, इसलिये सरकारी संस्थानों एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिये।अर्थात् सुशासन सुनिश्चित करने के लिये महिलाओं का सशक्तीकरण आवश्यक है।हिंसा की बढ़ती घटनाएँ:अवैध तरीके से बल का सहारा लेना कानून व्यवस्था की समस्या मानी जाती है किंतु सुशासन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से देखने पर लगता है कि शांति और व्यवस्था, विकास की दिशा में पहला कदम है।न्याय में देरी (Delay in Justice):एक नागरिक को समय पर न्याय पाने का अधिकार है, किंतु कई ऐसे कारक है जिनकी वजह से एक सामान्य व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है।प्रशासनिक प्रणाली का केंद्रीकरण (Centralisation of Administrative System):महात्मा गांधी के अनुसार, जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा, तब लोकमत ऐसे अनेक कार्य कर दिखाएगा जहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा।पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution- PRI) भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (Rural Local Self-government) की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंधन। किंतु वर्तमान में यह प्रक्रिया निधियों के अपर्याप्त हस्तांतरण के कारण सुशासन की राह में बाधा बन रही है।सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का सीमांकन: विकास की प्रक्रिया में हाशिये पर स्थित समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिये कई संवैधानिक प्रावधान है किंतु वास्तविकता में शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों आदि जैसे कई क्षेत्रों में वे अभी भी पीछे हैं।

शासन की प्रभावी कार्यपद्धति देश के प्रत्येक नागरिक से संबंधित है। नागरिक राज्य द्वारा दी जाने वाली अच्छी सेवाओं का खर्च वहन करने लिये तैयार हैं, किंतु इसके लिये आवश्यक है की ऐसी एक पारदर्शी, जवाबदेह और बौद्धिक शासन प्रणाली हो जो पक्षपात एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। देश में सुशासन बहाल करने के लिये 'अंत्योदय' के गांधीवादी सिद्धांत की प्रधानता हेतु हमारी राष्ट्रीय रणनीति में सुधार करने की आवश्यकता है। भारत को शासन में सत्यनिष्ठा की धारणा को विकसित करने पर भी ध्यान देना चाहिये ताकि शासन को अधिक नैतिक बनाया जा सके।सरकार को 'सबका साथ-सबका विकास एवं सबका-विश्वास' के आदर्श पर कार्य करते रहना चाहिये जो समावेशी एवं सतत् विकास को बढ़ावा दे।सत्यनिष्ठा, मज़बूत नैतिक सिद्धांत होने का एक आवश्यक गुण है। इसमें समग्रता, शुचिता और ईमानदारी शामिल है। इसमें न केवल सच्चरित्रता एवं ईमानदारी है बल्कि आचार संहिता का सख्ती से पालन करना भी शामिल है। शासन की एक प्रभावी प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये सत्यनिष्ठा आवश्यक है।शासन और सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार: शासन की नैतिक अवधारणाएँ पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के साहित्य जैसे- भगवद्गीता, अर्थशास्त्र, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, मिल आदि द्वारा दी गई हैं।प्रशासक, राज्य के प्रशासनिक संरक्षक हैं, इसलिये उन्हें 'पब्लिक ट्रस्ट' का सम्मान करना चाहिये।[16,17]

शासन में सत्यनिष्ठा का उद्देश्य:

- शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- लोक सेवा में ईमानदारी बनाए रखना।
- प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- सरकारी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बनाए रखना।
- कदाचार, धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार की संभावना से बचना।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम
भारत सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम की जगह 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' अधिनियमित किया है। किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, यह अधिनियम नागरिकों को

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 12, December 2018

सामान्य प्रकृति की सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक "सार्वजनिक प्राधिकरण" हैं।

अधिनियम के तहत उपलब्ध सूचना
जहां तक बैंकों का संबंध है, संबंधित प्रावधान यथा धारा 4(1), 5(1) और 5(2) पहले ही लागू हो चुके हैं। सूचना के अधिकार के तहत उस सूचना को प्राप्त किया जा सकता है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में बैंक के पास या उसके नियंत्रण में है तथा इसमें कार्य, दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण करने, टिप्पणियों, दस्तावेजों/अभिलेखों के उद्धरणों या प्रमाणित प्रतियों और तथ्यों के प्रमाणित नमूने लेने तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी संग्रहीत सूचना को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट
अधिनियम के धारा 8 और 9 के तहत कुछ निश्चित श्रेणियों की सूचना को नागरिकों को प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है। सूचना के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले जनता अधिनियम के संबंधित खंडों का भी संदर्भ ग्रहण करें।[18]

सूचना कैसे प्राप्त करें
कोई भी नागरिक लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रधान कार्यालय, इंडियन बैंक, नंबर 66, राजाजी सालै, चेन्नै – 600 001 में पदस्थ लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है। इसे बैंक की किसी शाखा/अंचल कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है।[19]

संदर्भ

1. https://cic.gov.in/introduction
2. ↑ "CIC Annual Report 2005-06" (PDF) (अंग्रेज़ी में). पृ° 14. मूल (PDF) से 21 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 नवम्बर 2012.
3. ↑ केन्द्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार. "Powers and functions of the information commissions". प्राथमिक स्रोत. केन्द्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार. मूल से 3 मार्च 2011 को पुरालेखित.
4. ↑ https://cic.gov.in/former-cic-and-ic
5. "Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015 development agenda – working draft" (PDF). March 2015. मूल (PDF) से 3 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 May 2015.
6. ↑ Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2016): Sustainable Development Report
7. ↑ "The Global Goals For Sustainable Development". Global Goals. मू□ स□ 22 जू□ 2016 क□ पुरालेखि□. अभिगम□ तिथ□ 2 September 2015.
8. World Business Council for Sustainable Development - CEO-led, global association of some 200 companies dealing exclusively with business and sustainable development
9. Nobel Prize for Sustainable Development - International initiative for a Nobel Prize for Sustainable Development
10. Appropedia - a Wiki focused on sustainable international development and poverty reduction
11. International Institute for Sustainable Development International non-profit organization for sustainable development.
12. International Institute for Environment and Development International non-profit organisation for sustainable development.
13. What is sustainability? Archived 2014-07-07 at the Wayback Machine - EPA
14. ↑ United Nations General Assembly (1987) Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future Archived 2016 at the Wayback Machine
15. ↑ State of the World 2013: Is Sustainability Still Possible? Archived 2014-06-28 at the Wayback Machine - वर्ल्ड वाच

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 12, December 2018

16. ↑ Strong sustainable consumption governance e precondition for a degrowth path? Archived 2013-10-29 at the Wayback Machine Journal of Cleaner Production;
17. Compilation of Fact Sheets published by the University of Michigan's Center for Sustainable Systems
18. Elements of sustainability at Microdocs
19. Sustainability at The College of William and Mary